न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

पीठासीन अधिकारी	–	**अलका जोशी, आर.जे.एस.**
नियमित दाण्डिक प्र. सं.	–	866/2021 रे.फौ.
सीआईएस नं.	–	866/2021
एफ.आई.आर. नं.	–	54/2021, महिला थाना सिरोही

राजस्थान राज्य ।

– अभियोगी –

बनाम

01. पृथ्वीराज सिंह पुत्र रतन सिंह।
02. पदम सिंह पुत्र रतन सिंह।
निवासीगण बाल्दा पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही।

– अभियुक्तगण –

अपराध अंतर्गत धारा 447, 427, 323, 509, 354/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–

1– अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2– श्री अशोक पुरोहित, अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।
3– श्री भूपेंद्र राजपुरोहित, अधिवक्ता परिवादीगण/मजरूबान की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक–04.07.2026

01. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी महेन्द्र सिंह द्वारा उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 इस आशय की पेश की गई कि उसका आवासीय मकान मय बाडा बालदा में आया है जिसमें परिवार सहित निवास करता है। अप्रार्थी पृथ्वीराज सिंह व पदम सिंह उसके मकान के बाड़े में जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं जिसका दावा कोर्ट में चल रहा है तथा कोर्ट से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किए हुए हैं। दिनांक 21.10.2021 को शाम करीब 06.30 बजे वह रिक्को एरिया पिण्डवाडा सिक्युरिटी गार्ड ड्यूटी करने हेतु पिण्डवाडा गया था पीछे घर पर उसकी पत्नी व बच्चे अकेले थे। रात्रि करीब 08 बजे के आसपास उपरोक्त अप्रार्थीगणों ने उसके मकान के बाडे में अनाधिकृत प्रवेश कर बाडे की बाड को तोडकर जबरन रास्ता निकालने लगे तो अप्रार्थीगणों ने उसकी पत्नी व बच्चों के साथ हाथा–पाई की तथा गंदी–गंदी गालियां देकर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी एवं कुएं पर बंधी भैसों को खोल कर जंगल में भगा दिया। अप्रार्थीगणों ने उसकी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट कर अभद्र व्यवहार कर लंजा भंग की.....इत्यादि।

02. उक्त रिपार्ट के आधार पर महिला पुलिस थाना सिरोही में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 54/2021 दर्ज कर अनुसंधान अपराध अंतर्गत धारा 447, 427, 323, 509, 354

भारतीय दण्ड संहिता में प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 447, 427, 323, 509, 354/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 447, 427, 323, 509, 354/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उनके द्वारा आरोप से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

04. दिनांक 01.07.2026 को परिवादीगण/मजरूबान महेन्द्र सिंह व श्रीमती रंजन ने मुलजिमान पृथ्वीराज सिंह व पदम सिंह से धारा 447, 427, 323, 509 भा.द.सं. में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया।

05. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नांकित गवाहों को परीक्षित करवाया गयाः–

क्र.सं.	**गवाह का नाम**	**पी.डब्ल्यू.**
01	महेन्द्र सिंह	पी.डब्ल्यू.01
02	जितेन्द्र सिंह	पी.डब्ल्यू.02
03	रंजन	पी.डब्ल्यू.03

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित प्रलेख प्रदर्शित करवाए गएः-

अंकित प्रदर्श	**प्रलेख की प्रकृति**
प्रदर्श पी.01	रिपोर्ट
प्रदर्श पी.02	फर्द मौका घटनास्थल
प्रदर्श पी.03	मेडिकल नहीं कराने बाबत रिपोर्ट
प्रदर्श पी.04ए	बेचान इकरारनामा की फोटोप्रति
प्रदर्श पी.05	राजीनामा प्रार्थना पत्र
प्रदर्श पी.06	राजीनामा की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र
प्रदर्श पी.07	पुलिस बयान रंजन
प्रदर्श पी.08	धारा 164 सीआरपीसी के बयान रंजन

06. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया व साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये–

अंकित प्रदर्श	**दस्तावेजी साक्ष्य**
प्रदर्श डी.01	रिपोर्ट
प्रदर्श डी.02	एसडीओ कोर्ट का मुकदमा

07. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि परिवादीगण/मजरूबान ने मुलजिमान से धारा 447, 427, 323, 509 भादसं. में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा दिया है। अतः मुलजिमान के विरुद्ध शेष आरोपित अपराध धारा 354 भादसं. के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दू हैः–

1) **''क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 21.10.2021 को समय करीब शाम 08:30 बजे परिवादी की पत्नी की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया ?''**

2) **यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के भागीदार हैं?**

08. इस प्रकार पत्रावली में आई उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् यह प्रकट है कि परिवादीगण/मजरूबान महेन्द्र सिंह व श्रीमती रंजन ने मुलजिमान पृथ्वीराज सिंह व पदम सिंह के साथ दिनांक 01.07.2026 को अपराध अंतर्गत धारा 447, 427, 323, 509 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा पेश कर तस्दीक करा दिया है।

अब मुलजिमान पृथ्वीराज सिंह व पदम सिंह पर शेष आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता बाबत साक्ष्य का अवलोकन करें तो मजरूबा **श्रीमती रंजन पी.ड.03** पक्षद्रोही घोषित हुई है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करती है। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि दिनांक 21.10.2021 को शाम को करीब 06:30 बजे उसके पति महेन्द्र सिंह अपनी ड्यूटी पर पिंडवाड़ा चले गये थे। घर पर वह और दो बच्चे थे। उस समय शाम को पृथ्वीराज और पदम सिंह उनके बाड़े में आए व बाड़े की बाड़ तोड़ी तबं उसने उन्हें बाड़ तोड़ने से रोका तो उन्होंने उसके साथ हाथापाई की तथा कुएं पर लगी मोटर को भी कुएं में फेंक दिया, मशीन तोडफोड की, उसे गंदी गालियां दी। उनके कुएं पर बंधी हुई भैसों को पदम सिंह व पृथ्वीराज ने छुड़ा दिया। उक्त घटना से 3–4 महिने पहले उनके कुएं पर लगे मोटर के कुंटल (कुएं से पानी खींचने के लिये काम आने वाला औजार) कुएं में फैंक दिया व बाड़ तोड़ दी। कुंटल फैंकने व बाड़ तोड़ने से उसे 5–6 हजार का नुकसान हुआ था। पृथ्वीराज सिंह व पदमपाल सिंह ने उसका ओढना खींचकर लज्जा भंग नहीं की थी। अजखुद कहा कि हमारा आज न्यायालय में मुल्जिमान से राजीनामा हो गया है जो राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी.05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। वे इस मुकदमें को आगे नहीं चलाना चाहतें। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर **जिरह** के दौरान गवाह ने यह कथन किये कि गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.07 तथा अपने न्यायालय बयान प्रदर्श पी.08 के ए से बी भाग में पदम सिंह व पृथ्वीराज सिंह

द्वारा उसका ओढना खींचकर लज्जा भंग करने से इनकार किया है। यह कहना गलत है कि उसने उसके पति को यह बात बताई हो कि पृथ्वीराज सिंह व पदमपाल सिंह ने उसका ओढना खींचकर उसकी लज्जा भंग की हो। यह कहना सही है कि मुलजिमान से उसका न्यायालय में राजीनामा हो गया है। **जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण में** यह कथन किये कि उनका राजीनामा हो गया, अतः वह आगे प्रकरण नहीं चलाना चाहती।

इस प्रकार मजरूबा ने अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा मात्र उसके साथ मारपीट करना बताया है तथा कुएं में मोटर फेंकना व मशीनों की तोडफोड करना बताया है तथा साथ ही अभियुक्तगण द्वारा मजरूबा रंजन की लज्जा भंग करने के कथनों को गलत बताया है। अतः अभियुक्तगण को लज्जा भंग करने के आरोपित अपराध में संलिप्त करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

प्रकरण का अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू.01 महेन्द्र सिंह** परिवादी/रिपोर्टकर्ता होकर अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन करता है कि रंजन कुंवर उसकी पत्नी है। दिनांक 21.10.2021 को शाम को करीब 06.30 बजे वह अपनी ड्यूटी पर पिंडवाड़ा चला गया था। घर पर उसकी पत्नी और दो बच्चे विश्वजीत और पूजा थे। सुबह जब वह ड्यूटी से आया तो उसकी पत्नी रंजन ने उसे बताया कि पृथ्वीराज और पदम सिंह उनके बाड़े में आकर बाड़े की बाड़ तोड़ी तब रंजन ने उन्हें बाड़ तोड़ने से रोका तो उन्होंने रंजन के साथ हाथापाई की और ओढनी फाड़ी। **जिरह में** यह कहा कि उसे घटना की जानकारी उसकी पत्नी व बच्चों ने अगले दिन सुबह घर आने पर दी थी। मैंने प्रदर्श पी.01 रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 को शाम को 05.25 बजे थाने में दी थी। उसकी पत्नी रंजन कुंवर व विश्वजीत सिंह के चोटें आई थी। यह कहना सही है कि सिविल न्यायालय में उसके व उसके परिवार वालों के विरुद्ध वाद संख्या 33/2014 लंबित है। उसके और मुलजिमान परिवार के बीच रास्ते का विवाद है इसके अलावा और कोई विवाद नहीं है। उसकी पत्नी व पुत्र ने मेडिकल करवाने का नहीं कहा था अजखुद कहा कि उसने ही देखा कि कम चोट लगी है इसलिये मेडिकल नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया था। उसकी पत्नी का फटा हुआ ओढना पुलिस वालों ने अपने कब्जे में नहीं लिया था। मुलजिमान रोज उन्हें परेशान करते थे इसलिये उसने कुंटल फैंकने की 4–5 महिने पहले की घटना भी रिपोर्ट में लिखवाई थी।

इस प्रकार प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण साक्षी परिवादी/रिपोर्टकर्ता होकर अपनी जिरह में वक्त घटना मौके पर मौजूद न होने के कथन करते हुए अगले दिन सुबह उसकी पत्नी द्वारा उक्त घटना की सूचना देने का कथन करता है तथा साथ ही उक्त घटना से 4–5 माह पूर्व की घटना की रिपोर्ट भी उक्त रिपोर्ट में लिखवाने का कथन करता है।

इसी प्रकार प्रकरण का अन्य गवाह **पी.डब्ल्यू.02 जितेन्द्र सिंह** नक्शा मौका का साक्षी होकर अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन करता है कि दिनांक 25.10.2021 को पुलिस ने उसके सामने महेन्द्र सिंह के घर व बाड़े का मौका देखा था जिसकी फर्द प्रदर्श पी.02 बनाई थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। मौके पर बाड़ तोड़ी थी और मारपीट हुई थी इस बारे में पुलिस मौका देखने आई थी। **जिरह में** यह कहा कि महेन्द्रसिंह उसका सगा भाई है। पुलिस को मौका उसने बताया था फिर कहा कि पुलिस को घटना कहां हुई थी इस बारे में महेन्द्रसिंह ने बताया था। पुलिस मौका देखने आई तब महेन्द्रसिंह घर पर थे। राजेन्द्रसिंह भी उसका सगा भाई है। रंजन उसकी भाभी है व विश्वजीत उसका भतीजा है।

घटना 21 तारीख की थी और मौका 25 तारीख को देखा था। मौका देखा तब महेन्द्रसिंह के घर के चारों तरफ बाड़ थी।

इस प्रकार प्रकरण में नक्शा मौका का साक्षी अपनी जिरह में वक्त घटना मौके पर उपस्थित नहीं होने के कथन करते हुए उसके भाई द्वारा उक्त मौका पुलिस को दिखाये जाने का कथन करता है तथा साथ ही मौका देखते समय महेन्द्र सिंह के घर के चारों तरफ बाड होने का कथन करता है।

09. पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादीगण/मजरूबान व मुलजिमान का अपराध अंतर्गत धारा 447, 427, 323, 509 भादसं. में राजीनामा हो गया है। प्रकरण के मजरूबा श्रीमती रंजन पी.ड.03 पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिसने अपने न्यायालय बयानों में यह जाहिर किया है कि **पृथ्वीराज सिंह व पदम सिंह ने उनके साथ मारपीट की थी, मजरूबा श्रीमती रंजन की पृथ्वीराज सिंह व पदम सिंह ने लज्जा भंग नहीं की।** इसके अतिरिक्त अभियोजन के अन्य गवाह मजरूबा का पति महेन्द्र सिंह पी.ड.01 एवं नक्शा मौका का गवाह जितेन्द्र सिंह पी.ड.02 ने अपने न्यायालय बयानों में कोई संपुष्टिकारक कथन नहीं किये हैं जिससे मुलजिमान द्वारा मजरूबा के साथ लज्जा भंग करने की पुष्टि हो सके।

ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अभियोजन अभियुक्तगण पृथ्वीराज सिंह व पदम सिंह के विरुद्ध शेष अरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 354 भा.द.सं. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अतः अभियुक्तगण पृथ्वीराज सिंह व पदम सिंह को शेष आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 354 भा.द.सं. में संदेह के आधार पर व साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(अलका जोशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही

आदेश

10. अतः अभियुक्तगण 01. पृथ्वीराज सिंह पुत्र रतन सिंह एवं 02. पदम सिंह पुत्र रतन सिंह निवासीगण बाल्दा पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही को अपराध अंतर्गत धारा 447, 427, 323, 509 भारतीय दण्ड संहिता में बरूए राजीनामा तथा अभियुक्तगण पर शेष आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह के आधार पर व साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण के पूर्व के उपस्थिति बाबत प्रस्तुत प्रतिभू व बंधपत्र दायित्वमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण द.प्र.सं धारा 437–ए के प्रावधानों के अनुरूप दस–दस हजार रुपये की जमानत–मुचलके इस न्यायालय में पेश कर तस्दीक करावें।

(अलका जोशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही

11. निर्णय आज दिनांक 04.07.2026 को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन के सुनाया गया।

(अलका जोशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरोही